सं. 25020/14/2025-WS-III
भारत सरकार
गृह मंत्रालय
महिला सुरक्षा प्रभाग
***

जैसलमेर हाउस, 26 मान सिंह रोड,
नई दिल्ली, 24 जून, 2025

कार्यालय ज्ञापन

विषय: भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 329(4)(छ) के तहत केन्द्रीय फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशालाओं के विशेषज्ञों की विभिन्न श्रेणियों को सरकारी वैज्ञानिक विशेषज्ञों के रूप में अधिसूचित करने के संदर्भ में।

अधोहस्ताक्षरी को उपरोक्त विषय पर न्यायालयिक विज्ञान सेवा निदेशालय के पत्र संख्या: DFSS/11/6/2024/589 दिनांक 11.03.2025 के संदर्भ में यह उल्लेख करने का निदेश हुआ है कि न्यायालयिक विज्ञान सेवा निदेशालय के तहत केन्द्रीय फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशालाओं के विभिन्न कर्मचारी श्रेणियों को भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बी.एन.एस.एस.), 2023 की धारा 329(4)(छ) के तहत सरकारी वैज्ञानिक विशेषज्ञों के रूप में अधिसूचित कर दिया गया है।

2. इस संबंध में दिनांक 18.06.2025 की अधिसूचना को भारत के राजपत्र में दिनांक 20.06.2025 को प्रकाशित कर दिया गया है, जिसकी प्रति अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित की जाती है।

(विकास प्रसाद)
भारत सरकार के अवर सचिव
दूरभाष: 011 23383868

संलग्न.(1)

सेवा में,

निदेशक-सह-मुख्य फोरेंसिक वैज्ञानिक
न्यायालयिक विज्ञान सेवा निदेशालय,
CGO कॉम्प्लेक्स, लोधी रोड
नई दिल्ली

रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सत्यमेव जयते

सी.जी.-डी.एल.-अ.-20062025-264006
CG-DL-E-20062025-264006

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2696] नई दिल्ली, शुक्रवार, जून 20, 2025/ज्येष्ठ 30, 1947
No. 2696] NEW DELHI, FRIDAY, JUNE 20, 2025/JYAISTHA 30, 1947

गृह मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 18 जून, 2025

का.आ. 2762(अ).—केंद्रीय सरकार, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 (2023 का 46) की धारा 329 की उपधारा (4) के खंड (छ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय न्यायालयिक विज्ञान प्रयोगशालाओं के निम्नलिखित वैज्ञानिक विशेषज्ञों को उक्त अधिनियम की धारा 329 के प्रयोजन के लिए, सरकारी वैज्ञानिक विशेषज्ञ के रूप में विनिर्दिष्ट करती है, अर्थात:-

(i) वैज्ञानिक 'बी';

(ii) कनिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी;

(iii) सहायक केन्द्रीय आसूचना अधिकारी श्रेणी-I;

[फा. सं.-25020/14/2025-डब्ल्यू. एस-III]

लोखंडे प्रशांत सीताराम, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 18th June, 2025

S.O. 2762(E).— In exercise of the powers conferred by clause (g) of sub-section (4) of section 329 of the Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita, 2023 (46 of 2023), the Central Government hereby specifies the following scientific experts of the Central Forensic Science Laboratories as Government scientific experts for the purpose of section 329 of the said Act, namely:-

(i) Scientist 'B';

(ii) Junior Scientific Officer; and

(iii) Assistant Central Intelligence Officer Grade-I.

[F. No.-25020/14/2025-WS-III]

LOKHANDE PRASHANT SITARAM, Jt. Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. SARVESH KUMAR SRIVASTAVA